# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 59/2024 निर्णय दिनांक :– 28.06.2024

आशाराम पुत्र देवीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीया–

–बनाम–

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

**–उपस्थिति –**

**1. श्री बाबूलाल मीणा**

**2. श्री नरेन्द्र मीणा**

**अधिवक्ता प्रार्थी**

**पेराकार सरकार**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 33 खसरा नम्बर 671/371 रकबा 0.81 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है0 व खाता संख्या 110 खसरा नम्बर 715/371 रकबा 0.81 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.81 है0 वाके तनग्राम जलेरी पटवार हल्का देवड़ावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। यह कि प्रार्थी काफी समय से ग्राम जलेरी से देवड़ावास मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 468 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 369 व खसरा नम्बर 370 मे बने हुए रास्ते होकर अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 671/371 व 715/371 में आता–जाता रहा है तथा काश्तकारी कार्य करता चला आ रहा है। यह कि प्रार्थी की उक्त भूमि आने–जाने वाला उक्त कदीमी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण अन्य कई अतिक्रमी व्यक्ति आये दिन प्रार्थी को हैरान व परेशान करते है और उक्त अतिक्रमी व्यक्ति कांटो की बाड़ लगाकर व तारबंदी कर प्रार्थी के कदीमी रास्ते को बंद करने पर आमादा है। वर्तमान में काश्तकारी का समय है,। रास्ते के अभाव में प्रार्थी

अपनी भूमि में कृषि संसाधन नहीं ले जा पा रहे है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी को उक्त वर्णित अप्रार्थीगण की भूमि पर बने हुए कदीमी रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण उक्त रास्ता अपनी नितान्त आवश्यकता के लिए लेना चाह रहा है। प्रार्थी अपनी सुविधा के लिए उक्त रास्ता ले रहा है। यह कि अप्रार्थी लेण्ड हॉल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में फोरमल पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थी की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। यह कि प्रार्थी रास्ते की निअमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 369 व 370 वाके तनग्राम जलेरी पटवार हल्का देवड़वास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में बने हुए हुए कदीमी रास्ते में से 30 फिट रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में रास्ते की तरमीम किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार दूनी ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है :– प्रार्थी को आराजी ख0न0 671/371, 715/371 पर पंहुचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक हैं। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता, ख0न0 370, जो कि डामरीकृत सडक ख0न0 369 किस्म बारानी–2 से जुडा हुआ है। प्रार्थी की आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु ख0न0 370 में से रास्ते की चौडाई 9.14 मीटर व लम्बाई 270 मीटर यानि 2467 वर्ग मीटर प्रस्तावित है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम जलेरी की डीएलसी दर 416415/– रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 205460/– रू0 भुगतान योग्य है। आराजी ख0न0 671/371, 715/371 वाके ग्राम जलेरी आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी आराजी ख0न0 369, 370 ग्राम जलेरी में से रास्ता चाहता है। ख0न0 369 में से रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ड्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड, दीवार, कोई सरंचना इत्यादि नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार दूनी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी को आराजी ख0न0 671/371, 715/371 पर पंहुचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को आराजी ख0न0 671/371, 715/371 पर पंहुचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित नक्शे अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुंच मार्ग हेतु ख0न0 370 में से रास्ते की चौडाई 9.14 मीटर व लम्बाई 270 मीटर यानि 2467 वर्ग मीटर है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम जलेरी की डीएलसी दर 416415/– रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 205460/– अथवा वर्तमान डी. एल.सी की दर से पुनः गणना कर दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली